



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/ विविध-1ए/115-890 ए/ 2613

दिनांक 15/11/2022

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
राजनांदगांव वन मंडल, राजनांदगांव
छत्तीसगढ़

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. Raipur Lying Optical Fiber Line in Rajnandgaon forest division under Chhattisgarh State, area- 2.963 ha.
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 123989/ 2021
संदर्भ:- छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ -5-05/ 2022/ 10-2 दिनांक 04.11.2022

※※※※※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विषयांकित प्रकरण में 2 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

अतएव संदर्भित पत्र में दर्शाये अनुसार बिन्दुवार जानकारी मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (2 पृष्ठीय)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-890ए/ 2614
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 15/11/2022

1. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजिटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
संभ्रालय,

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-5-05/2022/10-2

नवा रायपुर, दिनांक 4/11/2022

प्रति,

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for Jio Fiber Pvt. Ltd. Raipur laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon forest Division under Chhattisgarh State, area 2.963 ha.

संदर्भ:- 1. विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 29.03.2022।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-1ए/115-890ए/2047, दिनांक 09.09.2022।

—00—

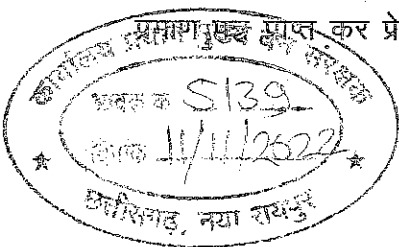
कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र क्र. 1 के माध्यम से चाही गई 04 बिंदुओं की अतिरिक्त जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 2 के माध्यम से प्रेषित किया गया है, जिसके परीक्षण में पुनः त्रुटियां परिलक्षित हो रही हैं। संदर्भित पत्र क्र. 1 के बिंदु क्र. 2 में निम्नानुसार जानकारी चाहा गया था :-

“प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 10 में आवेदित वन क्षेत्र का विवरण दिया गया है इसमें बहुत से वन कक्ष वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत आवेदित दर्शाये गये हैं। कृपया वन विकास निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।”

2/- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा उपरोक्त बिंदु के तारतम्य में संदर्भित पत्र क्र. 2 द्वारा प्रेषित जानकारी में निम्नानुसार त्रुटियां परिलक्षित हो रही हैं :-

(i) मंडल प्रबंधक, पानाबरस परियोजना मंडल, राजनांदगांव के पत्र क्रमांक/वविनि/2022/मा.चि./1274, दि. 02.08.2022 का हवाला देते हुए (कक्ष क्र. 768, 527, 526, 558, 515, 487, 462, 460, 433, 432, 544, 545, 547, 551, 573, 513, 489, 464, 463 एवं 461) अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का लेख किया गया है, किंतु मंडल प्रबंधक के उपरोक्त पत्र में स्पष्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दी गई है। अपितु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। कृपया मंडल प्रबंधक से स्पष्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

(ii) मंडल प्रबंधक, राजनांदगांव के पत्र दिनांक 02.08.2022 द्वारा 20 वन कक्षों के अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रस्ताव दिया गया है किंतु वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रदायित आवेदित वन क्षेत्र के विवरण में वन विकास निगम अंतर्गत 21 वन कक्ष प्रभावित होना दर्शाया गया है। दोनों का मिलान करने पर राजनांदगांव वन वनमंडल के खुज्जी परिक्षेत्र के जंतर वनखंड के संरक्षित वन कक्ष क्र. पी 434 हेतु मंडल प्रबंधक द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। कृपया उक्त संबंध में वन विकास निगम से स्पष्ट अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित करें जिसमें कक्ष क्र. पी 434 का भी उल्लेख हो।

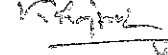


With Angel
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर

APCCF (L/M)
[Signature]

क्रमशः 2

3/- अतः निवेदन है कि, कृपया उपरोक्त बिंदु पर उल्लेखित त्रुटियों के अनुरूप संशोधित जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके उपरान्त प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।


(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
नवा रायपुर, दिनांक /11/2022

पृष्ठांक एफ-5-05/2022/10-2

प्रतिलिपि :-

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
 - 2.मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
 - 3.वनमंडलाधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
 - 4.महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), जियो डिजिटल फायबर केबल प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग